

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना जल सं०-01/2012 - 135  
झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता हजारीबाग;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 17-10-12

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545	28.152


आवंटित राशि - ₹ अठाइस लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के संशोधित बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 2 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

hi

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 135 राँची, दिनांक :- 17-10-12  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 135 राँची, दिनांक :- 17-10-12  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत) (जयप्रकाश भट्टाचार्या) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)  
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....135.....

दिनांक .....12-10-12.....

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	हजारीबाग	पंचखेरो जलाशय योजना	7568.97	25 / 07-08 प्र०स्वी० दि०-23.08.07	6070.01	550.31983	28.1520	578.47183	वर्तमान आवंटन परिशिष्ट-2, में वर्णित कार्य हेतु
						कुल योग	550.31983	28.15200	578.47183	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ अठारहस लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र।


(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

पत्रांक :- 135

दिनांक 17-10-12 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड : 49P470180800710545

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकरारनामा सं०/ तिथि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
<b>नये कार्य</b>								
			i	Construction of Escape in RMC & LMC	2F2/12-13	0.00000	6.83600	6.83600
			ii	Construction of Outlet in LMC		0.00000	11.31600	11.31600
			iii.	Construction of DLR bridge at Ch. 75.70 of RMC		0.00000	10.00000	10.00000
			<b>Total</b>			<b>0.00000</b>	<b>28.15200</b>	<b>28.15200</b>
<b>चालू कार्य</b>								
			<b>Head Works-</b>					
			i	River Closure (1200.00 M to 1370 M) with Construction of Cofferdam	SBD-01/11-12	300.00000	0.00000	300.00000
			ii.	Residual work of Earthen Dam from 1370.00 to 2182.00 M and left dyke O to 254 M	03F2/05-06	50.00000	0.00000	50.00000
			iii.	Residual work of Spill Channel	01F2/07-08	100.00000	0.00000	100.00000
			iv	<b>Distribution System (Main Canal) -</b> Earth work from ch. 0.000 to ch. 20.00 of LMC	05F2/05-06	1.10000	0.00000	1.10000
			v	Residual earth work from ch. 20.00 to ch. 45.47 of LMC	21F2/09-10	2.33000	0.00000	2.33000
			vi	Residual earth work from ch.45.47 to ch. 109.47 of LMC	01F2/09-10	1.51000	0.00000	1.51000
			vii	Residual earth work from ch.133.77 to ch. 172.00 of LMC	09F2/07-08	3.19000	0.00000	3.19000
			viii	Construction of H/R-cum-C/R	10F2/07-08	3.30000	0.00000	3.30000
			ix	Residual earth work from ch. 20.50 to ch. 45.10 of RMC	02F2/02-03	1.18000	0.00000	1.18000
			x	Construction of CD at ch. 29.50 & 41.00 of RMC	14F2/02-03	1.77000	0.00000	1.77000
			<b>Total</b>			<b>464.38000</b>	<b>0.00000</b>	<b>464.38000</b>
<b>नये कार्य</b>								
			I	A-Preliminary		2.00000	0.00000	2.00000
				Head Work -		0.00000	0.00000	0.00000
			i	Cleaning Hume Pipe, stilling basin thrash rack of right and left outlet.		1.50000	0.00000	1.50000
			ii.	Construction of 2 Nos. Ramp, 2 Nos. Culvert and Road over Ramp.		15.00000	0.00000	15.00000
			iii.	Inspection vehicle		3.00000	0.00000	3.00000
			<b>Total</b>			<b>21.50000</b>	<b>0.00000</b>	<b>21.50000</b>
<b>न्याय निर्णय से संबंधित कार्य</b>								
			1	भू-अर्जवाद नं.-273/09 से 337/09 में दिनांक 30.04.2011 को पारित न्याय निर्णय एवं न्यायालय पंचाट के अनुसार घोषित एवार्ड की राशि के भुगतान हेतु।		64.43983	0.00000	64.43983
			<b>Total</b>			<b>64.43983</b>	<b>0.00000</b>	<b>64.43983</b>
			<b>G. Total</b>			<b>550.31983</b>	<b>28.15200</b>	<b>578.47183</b>
अतिरिक्त आवंटित राशि -- ₹ अठाईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र।								

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव